2022/337

FORM No- III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

बअजे अदालत –न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम – बयाना (भरतपुर)

पप्पू बनाम रामबाबू वगै0

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट नं0 188/22 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.7.2022	प्रार्थी के वकील श्री गोरधनसिंह ने प्रार्थना– पत्र 212 आर.टी. एक्ट. पेश किया। हमने एडवोकेट प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता ने अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.11.2022 तक इस आशय का जारी किया जाता है कि विवादित आराजी ख0न0 1081 रकवा 1.10, 435 /0.83, 436/0.66, 600/1589 रकवा 1.05, 614/0.04, 620/0.30 किता 6 कुल रकवा 3.98 हैक्टे0 407/0.31, 408/0.02, 409/0.26, 437/0.77, 442/0.13, 443/0.02, 444/0.04, 445/0.21, 447/0.08, 448/0.06, 452/0.06, 453/0.06, 456/0.10, 457/0.08, 459/0.23 किता 15 कुल रकवा 2.43हैक्टे0 वाके ग्राम दर्र बराहना तह0 बयाना के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। यदि इस आज्ञा बाबत् कोई उज्र हो तो नियत तारीख को उपस्थित होकर न्यायालय हाजा पेश हो। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर । पत्रावली दिनांक 10.11.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)	
10/11/22	पीठासीन अधिकारी ... हैं पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/2/23 को पेश हो रीडर एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना	
8/2/23	पीठासीन अधिकारी ... हैं पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13/6/23 को पेश हो रीडर एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ameelal Yadav
Date: 2024.02.01 15:20:17 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/6/23	पीठासीन अधिकारी [illegible] कार्य में व्यस्त है जो पेश हो पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/7/23 रीडर एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना	
22/6/23	प्रकरण आज पक्षकार वादी प्रार्थी द्वारा [illegible] बाद में पेश [illegible] पर यह प्रकरण [illegible] बाद के साथ [illegible] में [illegible] हुआ। वादी द्वारा अपना दावा प्रार्थना पत्र पेश कर खारिज कराना चाहा [illegible] खारिज होने पर प्रार्थना पत्र [illegible] 212 का कोई औचित्य नहीं रहता है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी [illegible] बाद के खारिज होने की दशा में इसी प्रकार खारिज किया जाता है। प्रार्थी की पहचान [illegible] प्रकरण [illegible] हो दाखिल दफ्तर हो।	पक्षकार Identified by me.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ameelal Yadav
Date: 2024.02.01 15:20:17 IST
Reason: SelfAttested